

17.03.17

मजरा पेश हुई। वकील उमरपट्ट उपा।  
प्राथमिक डिप्टी जारी की जाकर मजरा में विभाजन  
स्कीम संभार जाये। मजरा दि. 20.10.17 को पेश हो।  
(13) (13)

20.11.17

वकील उमरपट्ट उपा। मजरा काहे इतना  
विभाजन स्कीम दि. 12.5.17 को पेश हो। (13)

बादी व उनके वकील उपस्थित। विपक्षी  
उपस्थित/अनुपस्थित। प्रकरण को लोक  
अदालत में रैफर करने के लिए सहमत  
है। अतः प्रकरण को लोक अदालत में  
रैफर किया जाता है। पक्षकारान  
दिनांक 9.5.17 को लोक अदालत  
के समक्ष उपस्थित रहें।

01.05.17

मजरा लोक अदालत में अदालत सेवा केन्द्र,  
बरोली पर पेश हुई। पक्षकारान ने उपस्थित होकर  
राजीनामा पेश किया एवं तहसीलदार, बजीरपुर  
से प्राप्त विभाजन स्कीम अनुसार दाग डिप्टी  
करने का अनुरोध किया। बाद बादी राजीनामा  
के आधार पर तहसीलदार, बजीरपुर से प्राप्त  
विभाजन स्कीम अनुसार डिप्टी किया जाया है।  
विस्तृत निर्णय प्रथम से लिखाया जाय (शास्त्रि)  
पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसलशुभा होकर  
अदालत से रुक हो एवं बाद वकील जमा  
दखिलेखाया हो। (13)

राजनीका

पेश

21.5.17

परकरदि